

2021/453

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पुशासन गांवोले लोक अदालत 2021

-:आदेश:-

284
3/1/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. 215/1/11
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आमलो	113	अशुद्ध प्रविष्टि 9.0 चरगी अशुद्ध प्रविष्टि 9.0 चरगी	शुद्ध प्रविष्टि 9.0 चरगी शुद्ध प्रविष्टि 9.0 चरगी कुल चरगी 18.0 शेक 521/1/11 पुशासन गांवोले

(.....)
पीठासीन अधिकारी
उप-लोक अदालत अधिकारी
शाहपुरा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर
शाहपुरा

क्रमांक :- 1100-1101

दिनांक :- 09-12-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उप-लोक अदालत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर
शाहपुरा